पत्रांक— 04 / वि0प0—04 / 2011 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में

उप सचिव
बिहार विधान परिषद्,
पटना।

पटना—15, दिनांक—

विषयः— **पाँच महादलित मृतक के आश्रितों को अनुमान्य अनुग्रह अनुदान दिलवाने के संबंध में।**

प्रसंगः— **बिहार विधान परिषद् सचिवालय का पत्रांक— वि0प0कार्या0कोषांग—02/ 2011—366(2)/वि0प0 दिनांक—14.01.2011 एवं 1319 (2) दिनांक—07.06. 2013**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि जिला पदाधिकारी, खगड़िया से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्रांक—512 दिनांक—16.09.2014) के अनुसार प्रतिवेदन निम्नवत है :—

" बाढ़ वर्ष 2006 में खगड़िया अंचलान्तर्गत दिनांक—28.06.2006 को रहीमपुर पंचखूटी में घटित नाव दुर्घटना में 05 (पांच) महादलित व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय भुगतान— स्वीकृत्यादेश संख्या ज्ञापांक—510/आ0प्र0 दिनांक—26.07.2013 से अभिलेख स्वीकृत कर पांचों मृत व्यक्तियों के आश्रित को भुगतान का आदेश निर्गत किया गया, जिसके आलोक में मृतक के आश्रित को स्वीकृत राशि का भुगतान दिनांक—18.11.2013 को कर दिया गया है। "

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुरोध है कि विषयांकित मामले को इस विभाग की ओर से कार्यान्वित मानते हुए बिहार विधान परिषद् की लंबित सूची से मुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—
(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—.......................... /आ0प्र0 पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपि—उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—3910......... /आ0प्र0 पटना—15, दिनांक— 28/11/14

प्रतिलिपि—सुश्री कविता कुमारी, आई0 टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/11/14
संयुक्त सचिव।

\\Pc22-pc\d\2014\Sanjay sir 2014\letter 24-10-14.docx